

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति आलमोड़ा-टाटा मोटर्स के निचले पूर-विनाई से हरिद्वार पेशवाली
उत्तराखण्ड का लेज से आगे पेशवाली तक के कॉलेज मोटर्स का निमेष
- (i) राज्य/संघराज्य/क्षेत्र उत्तराखण्ड
- (ii) जिला काठमांडू
- (iii) जिला वन प्रभाग काठमांडू वन प्रभाग काठमांडू
- (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 2.43875 हे.
17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारूपिता आरक्षित, सिविल सेव वन पंचायत अधिनियम
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का वर्णन चीड़, मेहल, काफल, सुर्कि, भीमल आदि के हैं।
- (i) वन का प्रकार पैरी डे-सफोरस्ट
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व 5
- (iii) प्रजातिगत स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अवर्धित वृक्षों की वर्गीकरण संलग्न है
- (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का गुरुत्व कोई नहीं
19. संरक्षण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थापित और क्षणिक पर संक्षिप्त विवरण अवधारण की स्थापना नहीं
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी अज्ञात
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता निरीक्ष नहीं
- (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का वर्णन महत्वपूर्ण वन्य जीव विज्ञान नहीं
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अभ्यारण गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपाय के लिए जाने में मुख्य वन्य जीव बाईन की और टीका टिप्पणियों उपाय के लिए) नहीं
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दूरी किमी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव बाईन की टीका-टिप्पणियों उपाय के लिए) नहीं
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पन्न आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दूरी किमी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव बाईन की टीका-टिप्पणियों उपाय के लिए) नहीं
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या अलग या अलग किस्म के खतरों की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उससे बचाने नहीं
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्व या विरासत स्थल या प्रतिक्रियात्मक स्थान या कोई महत्वपूर्ण स्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाय के लिए जाने के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुरोध प्रमाण-पत्र (एन आर सी) के साथ उसका स्थान है) नहीं
23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की सुविधापूर्वता के बारे में टीका टिप्पणियां विस्तार के लिए पर्याप्त है
- (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्य अभिकरण द्वारा वन्यप्रस्तावित वन भूमि की ओरों अवर्धित हैं और परियोजना के लिए अधिक प्रस्तावित किया जाना है
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। ही
24. किए गए अतिक्रमण के ब्योरे
- (i) क्या अतिक्रमण या अतिक्रमण के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में विरल कार्य को किया गया है नहीं
- (ii) यदि हा. की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अवर्धित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पता और बचतान सहित अतिक्रमण के ब्योरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विवरण की गई कार्यवाही नहीं
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अवधि प्रगति में है नहीं
25. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्योरे :
- (i) क्षतिपूर्क वनरोपण यद्दान के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारूपिता सिविल टेंव सोमन नर अधिनियम
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा सख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए वन क्षेत्र या अग्रभाग या जैसे ब्योरे है सिविल टेंव सोमन नर अधिनियम
- (iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए वन वन्यजीव या अग्रभाग वन दर्शित करने वाले 150,000 माप के मूल में स्थित परत भाग का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। ही

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कायंत्वहन अधिकरण, समय सूची, लागत, सुरक्षा आदि संबंधित क्षतिपूर्तक वनसंग्रहण स्कीम के अधीन सलाह है (दा/22/2015)।

(v) क्षतिपूर्तक वनसंग्रहण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपस्थिति संलग्न है

(vi) बाबा क्षतिपूर्तक वनसंग्रहण के लिए और प्रयोजन के दृष्टिकोण से पर्याप्तता बिना गए क्षेत्र की सुविधासुलभता के साथ सलाह उपलब्ध है प्रमाण-पत्र सलाह है (दा/22/2015)

26 वनस्पति और जीव जंतु घर प्रस्तावित किसान/कलापी के समाधान से समन्वित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले रूप वन संरक्षण की ऊपर निरीक्षण रिपोर्ट सलाह है (दा/22/2015)

27 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए रूप वन संरक्षण की विनिर्दिष्ट सिफारिशें स्वीकृति संलग्न की जाती है।

स्थान: काठमांडू
तारीख: 22-04-2015

हस्ताक्षर: [Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी,
ब्रह्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा